आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य

बनाम

मौ ताहिर अली

9 अक्टूबर, 2007

[ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

सेवा कानूनः

अनुशासनात्मक कार्यवाही- सजा की मात्रा- पुलिस कांस्टेबल- चुनाव बंदोबस्त ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति - परित्याग के अपराध का आरोप साबित - अनुशासनात्मक प्राधिकरण यह देखते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित करना कि यह एक अकेला मामला नहीं था और अपराधी को पहले भी परित्याग का दोषी पाया गया था - प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने केवल सज़ा के सवाल पर पुनर्विचार के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को मामला वापस भेजा - उच्च न्यायालय द्वारा आदेश की पुष्टि - अभिनिर्धारित: चुनाव बंदोबस्त (सुरक्षा व्यवस्था) ड्यूटी से अनुपस्थिति अपराधी की ओर से बहुत गंभीर चूक थी और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड उचित रूप से अधिरोपित किया गया - यहां तक कि पहले की अनुपस्थिति को नजरअंदाज भी कर दिया जाये, तब भी अनुशासित बल के सदस्य द्वारा 21 दिनों के लिए अनुपस्थिति सिद्ध होने

से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश उचित है - न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा मामले को पुनर्विचार हेतु वापस भेजने के आदेश को अपास्त किया गया

मैसूर राज्य बनाम वी. के. मांचे गौड़ा, [1964] 4 एस. सी. आर. 540, उद्धृत किया गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2043 वर्ष 2007

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद द्वारा रिट याचिका सं. 19690/2004 में पारित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 9.3.2005 से।

अपीलार्थियों के लिए डी. भारती रेड्डी।

उत्तरदाता के लिए प्रोमिला।

न्यायालय का आदेश दिया गया-

आदेश

हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

यह अपील जरिये विशेष अनुमति आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2004 की रिट याचिका संख्या 19690 में पारित दिनांक 9.3.2005 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत डिवीजन बेंच ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, जिसके तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने मामले में दी गई सजा पर

विचार करने के लिए मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को वापस भेज दिया था। इसलिए वर्तमान अपील ए.पी. राज्य द्वारा दायर की गई है।

विस्तृत तथ्यों में जाना आवश्यक नहीं है. यह कहना पर्याप्त है कि पदधारी अलवाल (हलिया) पी.एस. में एक पुलिस कांस्टेबल था। और उन्हें अन्य पीएस कर्मियों के साथ कडप्पा चुनाव बंदोबस्त ड्यूटी में चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था और उन्हें निर्देश दिया गया था कि वह एसडीपीओ मिर्यालगुडा के समक्ष रिपोर्ट करें, लेकिन वह 2 सितंबर, 1999 को अन्य पीएस कर्मियों के साथ एसडीपीओ मिर्यालगुडा के समक्ष बिना किसी छुट्टी या अनुमति के अनाधिकृत रूप से ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया और स्वयं अनुपस्थित रहा। इसलिए, उस पर परित्याग के अपराध का आरोप लगाया गया। जांच करने के लिए सी.आई. पुलिस अधिकारी, मिर्यालगुडा को जांच अधिकारी नियुक्त किया। अप्रार्थी/उत्तरदाता ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के जवाब में बचाव का कोई लिखित अभ्यावेदन पेश नहीं किया। इसलिए जांच अधिकारी ने जांच की और उसे दोषी पाया और अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, नलगोंडा को सौंप दी और पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उस रिपोर्ट की एक प्रति अप्रार्थी/उत्तरदाता को भेज दी, लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट के जवाब में और अपने बचाव में कोई लिखित अभ्यावेदन पेश नहीं किया। इसलिए, पुलिस अधीक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि अप्रार्थी/उत्तरदाता के पास उसके खिलाफ

लगाए गए आरोपों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह भी दर्ज किया गया कि यह एक अकेली घटना नहीं है। उत्तरदाता इससे पहले भी कुछ अवसरों पर परित्याग का दोषी पाया गया है। इसलिए एस. पी. ने तत्काल प्रभाव से सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित किया। इसे पहले भी प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट के निष्कर्ष के साथ हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन सजा का सवाल पर मामले को पुनर्विचार के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण को वापस भेज दिया। उस आदेश से व्यथित होकर राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि की। इसलिए वर्तमान अपील।

यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अप्रार्थी/उत्तरदाता को चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया गया था लेकिन वह चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। ऐसा लगता है कि अप्रार्थी/उत्तरदाता ने चुनाव ड्यूटी को एक महत्वपूर्ण विषय नहीं माना जो पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रार्थी/उत्तरदाता को चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया गया था और उसे सुरक्षा व्यवस्था लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, लेकिन वह ड्यूटी से अनुपस्थित हो गया। अप्रार्थी/उत्तरदाता की ओर से बहुत गंभीर चूक है। पुलिस बल एक अनुशासित बल और अप्रार्थी/उत्तरदाता है। पुलिस बल एक अनुशासित बल

है और अप्रार्थी/उत्तरदाता को चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्य के लिए विस्तृत जानकारी दी गई थी। वह चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। इस तरह की गंभीर चूक को हल्के में नहीं लिया जा सकता. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और यदि पदधारी चुनाव के कर्तव्य से बचता है, तो वह अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड के दायित्व से बच नहीं सकता है। हम प्रशासनिक न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/उत्तरदाता पर लगाए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा पर पुनर्विचार के लिए मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को वापस भेजने के कारण को समझने में विफल रहे हैं।

अप्रार्थी/उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में, आदेश पारित करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने कर्तव्य से अप्रार्थी/उत्तरदाता की पूर्व अनुपस्थिति को ध्यान में रखा है। उन्होंने कहा कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि अप्रार्थी/उत्तरदाता को इन घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी और वे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का हिस्सा नहीं थे। अपने कथनों के समर्थन में अप्रार्थी/उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मैसूर राज्य बनाम वी.के. मांचे गौड़ा [1964] 4 एससीआर 540 की ओर आकर्षित किया, लेकिन वर्तमान मामले में हम संतुष्ट हैं कि वास्तव में अप्रार्थी/उत्तरदाता ने जानबूझकर खुद को

ड्यूटी से अनुपस्थित रखा और चुनाव ड्यूटी से अपनी अनुपस्थिति के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह अप्रार्थी/उत्तरदाता की पहली अनुपस्थिति नहीं है. वह पहले भी कई मौकों पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहे थे। हमारी राय में ऐसा कोई सख्त नियम नहीं हो सकता कि केवल इसलिए कि पहले के कदाचार को आरोप-पत्र में उल्लेखित नहीं किया गया था तो इस पर दंड प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। पहले के कदाचार पर विचार अक्सर केवल उक्त प्राधिकारी की राय को सुदृढ़ करने के लिए होता है। पुलिस बल एक अनुशासित बल है और यदि अप्रार्थी/उत्तरदाता आदतन अनुपस्थित है तो भी जुर्माना लगाते समय इस तथ्य को नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, पहले की अनुपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए भी, हमारी राय में, अनुशासित बल के एक सदस्य द्वारा 21 दिनों की अनुपस्थिति उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के साथ-साथ प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करते हैं और प्रतिवादी की ओर से गंभीर चूक के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की पुष्टि करते हैं।

तदानुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है।

खर्चे बाबत कोई आदेश नहीं।

आर. पी. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आदित्य शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।